न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्या:–259/2018/223 आर.टी.एक्ट (2018/00259)

श्री धर्मा मुतबन्ना स्व0 श्री कुन्दन जाति रावत, निवासी–ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर (स्वर्गवास) जरिए वारिसान:–

1. श्रीमती साबुदेवी पत्नी स्व0 श्री धर्मा जाति रावत
2. भागचंद पुत्र स्व0 श्री धर्मा जाति रावत,
3. चांदसिंह पुत्र स्व0 श्री धर्मा जाति रावत,
4. लालसिंह पुत्र स्व0 श्री धर्मा जाति रावत,
5. मायादेवी पुत्री स्व0 श्री धर्मा जाति रावत,
6. चम्पादेवी पुत्री स्व0 श्री धर्मा जाति रावत,

समस्त निवासीगण–ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती आपू पत्नी स्व0 श्री तीजू
2. रतन पुत्र स्व0 श्री तीजू
3. मदन पुत्र स्व0 श्री तीजू
4. सुवा पुत्र स्व0 श्री बुद्धा (स्वर्गवास)जरिए वारिसान:–
   - 4/1 श्रीमती सीता पत्नी स्व0 श्री सुवा रावत
   - 4/2 खेमसिंह पुत्र स्व0 श्री सुवा रावत
   - 4/3 संजू पुत्री स्व0 श्री सुवा रावत
   - 4/4 मंजूदेवी पुत्री स्व0 श्री सुवा रावत
   - 4/5 रेखा पुत्री स्व0 श्री सुवा रावत
   - 4/6 इंद्रा उर्फ अमरी पुत्री स्व0 श्री सुवा रावत
5. नाथा पुत्र लक्ष्मण
6. श्रीमती कोया पत्नि स्व0 श्री हजारी
7. सायर पुत्र स्व0 श्री हजारी
8. हरदत्त पुत्र स्व0 श्री हजारी
9. गणपत पुत्र स्व0 श्री हजारी
10. राजूसिंह पुत्र स्व0 श्री हजारी

    समस्त जाति रावत निवासीगण–ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
11. नंगा पुत्र गोदू (मृतक) जरिए वारिसान:–
    - 11/1 श्रीमती धन्नी पत्नी स्व0 श्री नंगा
    - 11/2 गोपाल पुत्र स्व0 श्री नंगा
    - 11/3 पप्पू पुत्र स्व0 श्री नंगा
    - 11/4 शंकर पुत्र स्व0 श्री नंगा
    - 11/5 मांगीलाल पुत्र स्व0 श्री नंगा
    - 11/6 घीसा पुत्र स्व0 श्री नंगा

    समस्त जाति रावत निवासीगण–ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
    - 11/7 श्रीमती भंवरी पुत्री स्व0 श्री नंगा पत्नी धन्ना रावत, निवासी–गुदली तहसील अजमेर।
    - 11/8 किशनी पुत्री स्व0 श्री नंगा पत्नी धन्ना रावत, निवासी– गोवलिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
    - 11/9 अज्जू पुत्री स्व0 श्री नंगा पत्नी बहादुर रावत, निवासी (झूंठा की ढाणी) गोवलिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

12. नारायण पुत्र गोदू
13. श्रीमती रुकमा पत्नी स्व0 श्री नंगा
14. उगमा पुत्र स्व0 श्री नंगा
15. प्रभू पुत्र स्व0 श्री नंगा
16. गिरधारी पुत्र स्व0 श्री नंगा
17. रतना पुत्र स्व0 श्री नंगा
18. श्रीमती रामनारायण पत्नी स्व0 श्री शेरा
19. त्रिलोक पुत्र स्व श्री शेरा
20. मोहन पुत्र स्व श्री शेरा
समस्त जाति रावत निवासीगण–ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
21. बीरमा पुत्र श्री कालू (मृतक) जरिए वारिसान–
21/1 श्रीमती कमला पत्नी स्व0 श्री बीरम
21/2 लक्ष्मी पुत्री बीरमा
21/3 मैना पुत्री बीरमा
21/4 दीनू पुत्र बीरमा
क्रम संख्या 21/2 से 21/4 नाबालिग जरिए संरक्षम माता श्रीमती कमला पत्नी स्व0 श्री बीरमा।
समस्त जाति रावत निवासीगण–ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
22. शैतान पुत्र कालू जाति रावत निवासीगण ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
23. भंवरलाल पुत्र मोहन (मृतक) जरिए वारिसान:–
23/1 श्रीमती प्रेम पत्नी स्व0 श्री भंवरलाल
23/2 रामसिंह पुत्र स्व0 श्री भंवरलाल
23/3 दौलत सिंह पुत्र स्व0 श्री भंवरलाल
23/4 घनश्याम सिंह पुत्र स्व0 श्री भंवरलाल
23/5 कमलसिंह पुत्र स्व0 श्री भंवरलाल
23/6 कान्ता पुत्री स्व0 श्री भंवरलाल
समस्त जाति रावत निवासीगण–ग्राम हाथीखेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
24. श्रीमती किशनी पत्नी स्व0 श्री गोपी रावत निवासी ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
25. दुर्गा पुत्र स्व0 श्री गोपी (मृतक) जरिए वारिसान:–
25/1 श्रीमती भगवती पत्नी स्व0 श्री दुर्गा
25/2 लक्ष्मी पुत्री स्व0 श्री दुर्गा
25/3 माया पुत्री स्व0 श्री दुर्गा
25/4 पार्वती पुत्री स्व0 श्री दुर्गा
25/5 सपना पुत्री स्व0 श्री दुर्गा
25/6 प्रकाश पुत्र स्व0 श्री दुर्गा
क्रम संख्या 25/2 से 25/6 नाबालिक जरिए संरक्षिका माता श्रीमती भगवती पत्नी स्व0 श्री दुर्गा।
समस्त जाति रावत निवासीगण–ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
26. दौलत पुत्र स्व0 श्री मोहन रावत निवासी– ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
27. किशना पुत्र श्री देबू (मृतक) जरिए वारिसान:–
27/1 श्रीमती आपू पत्नी स्व0 श्री किशन (तर्क किया)
27/2 महेन्द्र पुत्र स्व0 श्री किशन

27/3 माणक पुत्र स्व0 श्री किशन
27/4 नारायण पुत्र स्व0 श्री किशन
समस्त जाति रावत निवासीगण–ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
27/5 श्रीमती चम्पा पुत्री स्व0 श्री किशन पत्नी देवूसिंह रावत
27/6 श्रीमती छोटी पुत्री स्व0 श्री किशन पत्नी श्री गोपीसिंह रावत
समस्त जाति रावत निवासीगण–कारकिया तहसील नसीराबाद
27/7 श्रीमती शांति पुत्री स्व0 श्री किशन पत्नी नंगा रावत निवासी मदारपुरा तहसील अजमेर।
27/8 श्रीमती साया पुत्री स्व0 श्री किशन लादू रावत निवासी थांवला तहसील डेगाना जिला नागौर
27/9 श्रीमती कमला पुत्री स्व0 श्री किशन पत्नी गोमा जाति रावत निवासीगण– गोवलिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
28. श्रीमती सोनी पत्नी स्व0 श्री भैरू (मृतक) जरिए वारिसान:–
28/1 नंगा पुत्र स्व0 श्री भैरू (मृतक) जरिए वारिसान
28/1/1 श्रीमती जनता देवी पत्नी स्व0 श्री नंगा
28/1/2 विक्रम सिंह पुत्र स्व0 श्री नंगा
28/1/3 रेखा पुत्री स्व0 श्री नंगा
28/1/4 रूपी पुत्री स्व0 श्री नंगा
28/1/5 गौरी पुत्री स्व0 श्री नंगा
28/1/6 मनीषा पुत्री स्व0 श्री नंगा
समस्त जाति रावत निवासी गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
28/2 मिठू पुत्र स्व0 श्री भैरू (मृतक) जरिए वारिसान
28/2/1 केसर पत्नी स्व0 श्री भैरू
28/2/2 राजू पुत्र स्व0 श्री भैरू
28/2/3 मंजू पुत्री स्व0 श्री भैरू
28/2/4 शांति पुत्री स्व0 श्री भैरू (मृतक) जरिए वारिसान
28/2/4/1 करम सिंह पुत्र देवी सिंह रावत
28/2/4/2 नारायण सिंह पुत्र देवी सिंह रावत
28/2/4/3 सीता पुत्री देवी सिंह रावत
28/2/4/4 गीता पुत्री देवी सिंह रावत
28/2/4/5 प्रेम पुत्री देवी सिंह रावत
समस्त निवासीगण ग्राम कानस तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
28/2/5 श्रीमती हीरा पुत्री स्व0 श्री भैरू
28/2/6 श्रीमती रतनी पुत्री स्व0 श्री भैरू
समस्त जाति रावत निवासीगण ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
29. विजयसिंह पुत्र श्री भैरू
30. प्रभू सिंह पुत्र नारायण पौत्र श्री भैरू
31. श्रीमती मंवरी पत्नी स्व0 श्री श्रवण
32. बलदेव पुत्र स्व0 श्री श्रवण
33. सुभाष पुत्र स्व0 श्री श्रवण
34. लक्ष्मण पुत्र स्व0 श्री श्रवण
समस्त जाति रावत निवासीगण –ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
35. प्रेमनाथ पुत्र बद्रीनाथ जाति जोगी निवासी ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।(फौत)
35/1 रविन्द्र नाथ पुत्र स्व0 श्री प्रेमनाथ जाति नाथ
35/2 शिवनाथ पुत्र स्व0 श्री प्रेमनाथ जाति नाथ

35/3 जितेन्द्र नाथ पुत्र स्व0 श्री प्रेमनाथ जाति नाथ
35/4 सरजू देवी पुत्री स्व0 श्री प्रेमनाथ जाति नाथ
35/5 सुशीला देवी पुत्री स्व0 श्री प्रेमनाथ जाति नाथ
35/6 विमला देवी पुत्री स्व0 श्री प्रेमनाथ जाति नाथ
35/7 श्रीमती सोना देवी पत्नी ओमनाथ पुत्रवधु स्व0 श्री प्रेमनाथ
35/8 शोरतनाथ पुत्र ओमनाथ पौत्र स्व0 श्री प्रेमनाथ
35/9 चेतन नाथ पुत्र ओमनाथ पौत्र स्व0 श्री प्रेमनाथ
समस्त निवासीगण ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
36. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पुष्कर तहसील पुष्कर।
37. श्रीमती सुखी पुत्री स्व0 श्री कुन्दन पत्नी श्री किशना, जाति रावत, निवासी=ग्राम केसरपुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर। (मृतक जरिए वारिसान)–
37/1 श्रीमती भंवरी पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति रावत निवासी लाडपुरा तहसील अजमेर।
37/2 श्रीमती तीजा पत्नी सुखदेव रावत निवासी मायापुर तहसील अजमेर।
37/3 श्रीमती शारदा पत्नी शिवराज रावत निवासी मदारपुरा तहसील अजमेर।
37/4 जयसिंह पुत्र किशना रावत निवासी केसरपुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
37/5 बाबूसिंह पुत्र किशना रावत निवासी केसरपुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
37/6 गोपाल सिंह पुत्र किशना रावत निवासी केसरपुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 324/2016

उपस्थितः–
1. श्री एन0के0जैन, अभिभाषक अपीलांट .
2. श्री जी0एस0 लखावत, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 03.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 36.
4. रेस्पोडेंट संख्या 1,2 से 4/1 से 4/5, 5 से 35, 37/1 से 37/6.

निर्णय

दिनांकः–07.06.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 324/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण संख्या 1 से 10 वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 10 द्वारा दिनांक 23.10.2004 को उक्त वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रतिवादीगण के विरूद्ध

प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रतिवादी संख्या 24 श्रीमती सोनी बेवा श्री देवू उर्फ भैरू तथा प्रतिवादी संख्या 24 बेवा श्री चन्दन नाथ स्वर्गवास हो जाने से उसके वारिस पूर्व से ही रिकार्ड पर होने के कारण उसका नाम रिकार्ड से तर्क किया गया है एवं दौराने वाद भीरमा पुत्र श्री कालू, भगा पुत्र श्री गोदू, दुर्गा, पुत्र श्री गोपी, भंवरलाल पुत्र श्री मोहन का स्वर्गवास हो गया जिनके वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु अभिभाषक वादीगण द्वारा कायम मुकाम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए, जो स्वीकार किए जाकर मृतकों के वारिसान रिकार्ड पर लिए गए तत्पश्चात उन्हें भी नोटिस दिए गए लेकिन बावजूद सूचना कोई प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए। जिससे उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात प्रतिवादीगण की ओर से कोई पक्षकार उपस्थित नहीं होने के कारण कैम्प गनाहेडा में वादीग्रस्त आराजीयात बाबत तहसीलदार पुष्कर से रिपोर्ट तलब की गई, जिन्होंने दिनांक 06.06.2016 को रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अंकन किया कि खसरा नम्बर 711 रकबा 0–09–10 बीघा में गोदू व कालू पुत्रान काना बहिस्सा बराबर 7/24, प्रेमनाथ पुत्र किशननाथ 1/24, मोहन, किशन, भेरू व श्रवण पुत्रान मेन्दू बहिस्सा 1/3 हिस्सा तथा तीजू व लक्ष्मण पुत्रान नाथ 1/9 हिस्सा व लादू व बुद्धा पुत्रान भीमा 2/9 हिस्सा कौम रावत गोत्र चहलोत चौसाला जमाबंदी सम्वत 2021–2024 में दर्ज है तथा खाता संख्या 25 में खसरा नम्बर 712 रकबा 0–1–10 बीघा किस्म ग्राह तथा खसरा नम्बर 713 रकबा 2–0–00 बीघा कुन्दनी पुत्र काना कौम रावत के नाम दर्ज है। उक्त तीनो खसरान नम्बरान के बर्किंग खसरा नम्बर 853 रकबा 02–11–00 बीघा, धर्मा मुतवन्ना काना व बरजी बेवा कुन्दन के नाम दर्ज कर दी गई अर्थात वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 20 का नाम दर्ज नहीं किया गया। जिसकी दुरुस्ती हेतु उक्त वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा स्वीकार किया जाकर विवादित आराजीयात में 1/3 हिस्से का वादीगण को खातेदार घोषित किया गया है तथा वादीगण के हिस्से की उक्त आराजीयात पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदाजी व मदाखलत उत्पन्न करने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 324/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3 एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। शेष रेस्पोडेन्टस बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि चौसाला खसरा नम्बर 711 रकबा 0–9–10 खसरा नम्बर 712 रकबा 0–1–10, खसरा नम्बर 713 रकबा 2–0–0 के बर्किंग खसरा नम्बर 853 रकबा 0–9–10 खसरा नम्बर 853 रकबा 0–1–10, खसरा नम्बर नम्बर 853 रकबा 2–0–0 बने है कि जिनके वर्तमान खसरा नम्बर 1082 रकबा 0.10 हैक्टर की भूमि जो कि ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर में स्थित है, बर्किंग जमाबंदी सम्वत 2041 के अनुसार अपीलार्थी खातेदार दर्ज है एवं काबिज है, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 से 10 के द्वारा राजस्व वाद जो

कि चौसाला खसरा नम्बर 711 कि जिसका वर्किंग खसरा नम्बर 853 रकबा 0–9–10 की भूमि के संदर्भ में राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया जब कि वादीगण/रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 10 का विवादित भूमि से कोई हक, अधिकार, सरोकार, वास्ता, कब्जा ही नही रहा एवं आज भी नहीं है परंतु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री समस्त विधिक नियमों को नजरअंदाज कर राजस्व कैम्प में ही पक्षकारान की बिना सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया जब कि राजस्व केम्प कि जिसमें मात्र पक्षकारान की सहमति के आधार पर समझौते के आधार पर ही निर्णय किए जाने का प्रावधान है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधि के प्रतिकूल अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र में अन्य पक्षकारान प्रतिवादीगण को बिना सूचित किए बिना विधिवत सम्मन तामिल करवाए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई वह विधि के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व प्रतिवादीया श्रीमती गेनी पुत्री कुन्दन कि जिसका स्वर्गवास दो वर्ष पूर्व ही हो चुका था तथा प्रतिवादी भंवर लाल पुत्र श्री नंगा कि सिका भी छः माह पूर्व स्वर्गवास हो चुका था प्रतिवादीया धापू पत्नी स्वर्गीय श्री मोहन कि जिसका भी स्वर्गवास चार साल पूर्व हो चुका था, मृतको के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया जो कि मृतकों के विरूद्ध पारित नहीं किया जा सकता है, मृतको के वारिसान को बिना रिकार्ड पर लिए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जो कि मृतकों के विरूद्ध पारित किए गए विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय किए जाने योग्य है। वाद पत्र में बिना विवाद विंदु कायम किए एवं बिना साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादीगण की लिए बिना ही एवं दस्तावेज जिन पर बिना प्रदर्शित के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो कि विधि के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जो कि राजस्व केम्प ग्राम गनाहेडा में पारित किया गया जब कि राजस्व केम्प ग्राम गनाहेडा में उपस्थित होने के संदर्भ में, सुनवाई के बाबत अपीलार्थी को कोई नोटिस सूचना ही नहीं दी गई जब कि राज्य सरकार के द्वारा राजस्व केम्प के अंतर्गत मात्र उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है, जिसमें पक्षकारान सहमत हो, समझौता किए जाने पर ही निर्णय किया जा सकता है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा राजस्व केम्प के अंतर्गत पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि के प्रतिकूल होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व केम्प के दौरान तहसीलदार पुष्कर के द्वारा जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गइ वह राजस्व अभिलेख रिकार्ड के प्रतिकूल गलत जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जब कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 01 का ही विधिक एवं भौतिक कब्जा काश्त तथा वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2041 के अनुसार खातेदार दर्ज है के तथ्यों को नजरअंदाज कर तहसीलदार पुष्कर के द्वारा जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई गलत है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा समस्त नियमों को नजरअंदाज कर मात्र त्रुटिहीन जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई विधि के प्रतिकूल होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलाधीन भूमि चौसाला खसरा नम्बर 711, 712, 713 के वर्किंग खसरा नम्बर 853 रकबा 2–11–0 का सेटलमेंट विभाग के द्वारा दिनांक 15.09.1971 को अपीलार्थी के पिता कुन्दना पुत्र श्री काना के

नाम जारी किया गया तथा वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2041 के अनुसार भी अपीलार्थी एवं उसकी माता बरजी बेवा कुन्दन खातेदार दर्ज है इस प्रकार अपीलाधीन भूमि से वादीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 से 10 का एवं अन्य प्रतिवादीगण का भी कोई हक, अधिकार, सरोकार वास्ता, कब्जा नहीं था, न रहा एवं आज भी नहीं है परंतु अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वाद पत्र में विधि अनुसार बिना कार्यवाही किए, बिना विवाद बिंदु कायम किए, बिना साक्ष्य पक्षकारान की रिकार्ड पर लिए राजस्व भू अभिलेख रिकार्ड कि-जिसे बिना प्रदर्शित किए एवं बिना मौखिक साक्ष्य के अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जो पारित की गई जो कि विधि के अनुसार निर्णय की श्रेणी में नहीं है, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि के प्रतिकूल एवं अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा विधि एवं नियमों को ताक में रखकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किए गए जो कि निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 324/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2018 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 03 ने दौराने जवाब बहस अपील में कथन किया कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर साबिक 711 वर्किंग 853 रकबा 0-9-10 बीघा किस्म बारानी-2 ग्राम गनाहेडा उप तहसील पुष्कर में स्थित है जिसमें प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्सा एवं वादीगण का 2/3 हिस्सा निहित है, लेकिन दौराने बंदोबस्त सक्षम न्यायालय के आदेश एंव रहन बेचान मुंतकिल किए बिना पूर्व प्रविष्टियों को बिना क्षेत्राधिकार के परिवर्तन करने, वादीगण एवं प्रतिवादीगण का नाम हटाकर वादीगण का नाम वर्किंग जमाबंदी में दर्ज कर दिया। जबकि मृतक श्री कुन्दन के वादी के पुत्रियां है उनका नाम दर्ज नहीं किया तथा वादी की वल्दीयत कुन्दन के बजाय काना दर्ज कर दी। जबकि विवादित भूमि में प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्सा निहित है। इतना ही नहीं चौसाला नक्शा ट्रेस के अनुसार खसरा नम्बर 711 की पश्चिमी मेड से लगते हुए खेत खसरा नम्बर 741 से 746 एवं 709 प्रतिवादीगण के खेत है। जिनमें खसरा नम्बर 744 व 745 कुंए है। जिनमें से 745 वर्तमान में चालू है जिससे साबिक वादग्रस्त साबिक खसरा नम्बर 711 में होती हुई प्रतिवादीगण की पाईप लाईन खसरा नम्बर 711 की पूर्वी मेड से लगते हुए प्रतिवादीगण के खेत खसरा नम्बर 715 व 716 में जाती है एवं साबिक खसरा नम्बर 711 जिसमें अण्डर ग्राउण्ड प्रतिवादीगण की पाईप लाईन है उक्त खेतों पर आने जाने में कदीम से रास्ते के भी प्रयोग में लिया जा रहा है लेकिन बंदोबस्त विभाग द्वारा वर्किंग नक्शा ट्रेस में साबिक खसरा नम्बर 711, 712, 713 का एक ही खसरा नम्बर 853 बना लिया जबकि उक्त खसरा नम्बर 853 में साबिक खसरा नम्बर 711 का 0-9-10 रकबा भी शामिल है जिसमें प्रतिवादीगण 1/3 हिस्सा भी निहित है। जिसकी दुरूस्ती की जाकर उक्त 1/3 हिस्से का प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित करने एवं वादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाने एवं हाल खसरा नम्बर 853 कुल रकबा 2-11-00 बीघा में से विवादित भूमि साबिक खसरा नम्बर 711 रकबा 0-9-10 बीघा जो रास्ता भूमि के प्रयोग में लिया जा रहा है, को प्रतिवादीगण द्वारा रास्ते के उपयोग में लिया जाने में वादीगण द्वारा बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद फरमाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण

द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 03 ने बहस में आगे कथन किया कि सायिक खसरा नम्बर 711 रकबा 00–9–10 बीघा में चौसाला जमाबंदी के अनुसार वादीगण का 1/3 हिस्सा निहित है एवं प्रतिवादीगण का 2/3 हिस्सा निहित हैतथा खसरा नम्बर 712 एवं 713 कुन्दना वल्द काना के नाम दर्ज है लेकिन तीनो खसरा नम्बरान का वर्किंग खसरा नम्बर 853 रकबा 2–11–00 बीघा बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनाया गया जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 34 एवं वर्तमान में 5 से 30 का नाम तर्क कर दिया गया। उक्त वर्किंग खसरा नम्बर 853 के नवीन खसरा नम्बर 1082 रकबा 0.31 है0 एवं 1084 रकबा 0.10 है0 बनाये गये है जिसमें धर्मा पुत्र कुन्दना 1/2 हिस्सा तथा धर्मा पुत्र कुन्दना, मेनी, वरजी, सुखी पुत्रियाँ कुन्दना 1/2 हिस्सा दर्ज है जबकि चौसाला जमाबंदी में दर्ज खसरा नम्बर 711 रकबा 0–9–10 बीघा से वादीगण 1/3 हिस्सा दर्जहै। जिससे उक्त सायिक खसरा नम्बर 711 रकबा 0–9–10 बीघा के 1/3 हिस्से का वादीगण को खातेदार किया जाना न्यायोचित होगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण की बहस सुनी गई एवं रिकार्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार, पुष्कर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर चौसाला खसरा नम्बर 711 रकबा 0–9–10 बीघा जिसके वर्किंग खसरा नम्बर 853 रकबा 2–11–0 बीघा एवं वर्तमान नवीन खसरा नम्बर 1082 रकबा 0.31 हैक्टर एवं 1084 रकबा 0.10 हैक्टर बनाए गए है जिनमें चौसाला खसरा नम्बर 711 का रकबा 0–9–10 बीघा के बीघा शामिल है। उक्त खसरा नम्बर 711 रकबा 0–9–10 बीघा के 1/3 हिस्से का प्रतिवादीगण को खातेदार घोषित किया गया। जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नवीन नम्बरों के अनुसार प्रतिवादीगण का नाम 1/3 हिस्से अनुसार खातेदारी हक से दर्ज किया जावे तथा मौके पर भू–उपयोग के अनुसार बंटवारा किया जाकर प्रतिवादीगण के हिस्से में आई भूमि का प्रतिवादीगण के नाम पृथक से खाता कायम किया जावें। प्रतिवादीगण के हिस्से की उक्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी व मदाखलत उत्पन्न करने से वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण को वास्ते जवाब दावे हेतु कई बार अवसर दिया गया किन्तु उनके द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तथा दिनांक 18.07.2018 को प्रतिवादीगण के अभिभाषक को कई आवाजे दिलाई जाने के बावजूद भी प्रतिवादीगण एवं उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं होने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा वादीगण को दावे पर सुना जाकर दिनांक 20.07.2018 को वादी का वाद स्वीकार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र को वाद साक्ष्य व तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट का अवलोकन करने के पश्चात वाद दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वाद को स्वीकार किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अभिभाषक अपीलांट का यह तर्क है कि रेस्पोडेंटस/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने दस्तावेजों को प्रदर्श नहीं करवाया बिना प्रदर्श दस्तावेजों के आधार पर दावा डिक्री नहीं किया जा सकता

जबकि पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थिति के बावजूद रेस्पोडेंट/वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद का कोई जवाब पेश नहीं किया था, बिना जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम नहीं कि जा सकती है। अतः अपीलांट का यह तर्क भी चलने योग्य नही है, तथा अभिभाषक अपीलांट का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद–पत्र में अन्य पक्षकारान प्रतिवादीगण को बिना विधि सम्मत नोटिस तामिल करवाए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जबकि पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य सामने आता हैं कि यदि उक्त निर्णय से अन्य पक्षकारान/प्रतिवादीगण व्यथित होते हैं तो वे न्यायालय हाजा के समक्ष अपील के माध्यम से अपनी पैरवी कर सकते थे अभिभाषक अपीलांट अपने हक अधिकार एवं हिस्से तक ही पैरवी कर सकते हैं, जिससे यह तर्क भी सारहीन है तथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं के अवलोकन से यह तथ्य भी सामने आता है कि दिनांक 14.11.2004 को प्रतिवादी/अपीलांट की ओर से अभिभाषक द्वारा अधिकार पत्र पेश किया गया था उक्त अधिकार पत्र पेश करने के बाद जवाब हेतु समय मांगा गया था दिनांक 11.4.2004 से निर्णय व डिक्री तक अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया, तथा यह तथ्य भी सामने आता है कि अपीलांट/प्रतिवादी लम्बे समय तक अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा न्यायालय की सदाशयता का लाभ अपीलांट/प्रतिवादी कैसे प्राप्त कर सकते हैं प्रश्नगत प्रकरण महज इंदाज दुरूस्ती बाबत 23.10.2004 से विचाराधीन था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बार–बार अवसर दिए जाने के उपरांत भी यदि अपीलांट/प्रतिवादीगण अपना पक्ष अधीनस्थ न्यायालल में नहीं रखते हैं तो अपील के माध्यम से न्यायालय की सदाशयता का लाभ अपीलांट को नहीं दिया जा सकता। माननीय उच्चतर न्यायालयों ने अपने अनेकों निर्णयों में भी यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि **न्यायिक प्रक्रिया में देरी करना भी अन्याय के समान है**। पत्रावली के गुणावगुण के अवलोकन से यह पाया जाता है कि साबिक खसरा नम्बर 711 रकबा 0–9–10 बीघा मे चौसाला जमाबंदी के नुसार वादीगण का 1/3 हिस्सा निहित है एवं प्रतिवादीगण का 2/3 हिस्सा निहित है तथा खसरा नम्बर 712 एवं 713 कुन्नदा बल्द काना के नाम दर्ज है। लेकिन उक्त तीनों खसरा नम्बरान का वर्किंग खसरा नम्बर 853 रकबा 2–11–0 बीघा बंदोंबस्त विभाग द्वारा बनाया गया जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 34 एवं वर्तमान में 5 से 30 का नाम तर्क कर दिया गया। उक्त वर्किंग खसरा नम्बर 853 के नवीन खसरा नम्बर 1082 रकबा 0.31 है0 एवं 1084 रकबा 0.10 है0 बनाए गए है। जिसमें धर्मा पुत्र कुन्दना 1/2 हिस्सा तथा धर्मा पुत्र कुन्दना, गेनी बरजी, सुखी, पुत्रियां कुन्दना 1/2 हिस्सा दर्ज है जबकि चौसाला जमाबंदी में दर्ज खसरा नम्बर 711 रकबा 0–9–10 बीघा में वादीगण का 1/3 हिस्सा दर्ज है। भू–प्रबंध विभाग को पूर्व की प्रविष्टि को निरंतर किया जाना चाहिए था भू–प्रबंध विभाग को पूर्व कि प्रविष्टियों को बिना किसी सक्षम आदेश के परिवर्तित करने का कानूनी रूप से कोई अधिकार नहीं था, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज पूर्व की प्रविष्टि बाबत ही विधि सम्मत आदेश पारित किया है जिसमें उक्त साबिक खसरा नम्बर 711 रकबा 0–9–10 बीघा के 1/3 हिस्से का वादीगण को न्यायालय द्वारा विधिनुसार खातेदार घोषित किया गया है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में

अपील अपीलांट्स खारिज योग्य पाए जाने से खारिज किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है।

7. अतः अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 324/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2018 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 07.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर